

समाहरणालय, गोड्डा

(जिला भू-अर्जन शाखा)

E-Mail- goddadlao@gmail.com

प्रपत्र VI

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11 (1) के अधीन)

संख्या- (रेलवे) 11.20/भूअ0 गोड्डा दिनांक :- 21/9/18.....

चूँकि उपायुक्त, गोड्डा को यह प्रतीत होता है कि मौजा- चौरा, थाना नं०- 340, अंचल- मेहरमा, जिला- गोड्डा में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना गोड्डा से पीरपैती नई बी.जी. रेलवे लाईन निर्माण हेतु अपेक्षित है, इसलिए राज्य एस० आई० ए० ईकाई ए.एम.सी.एस. प्राइवेट लिमिटेड, राँची सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन द्वारा कराया गया और एक प्रतिवेदन सौंपा गया। विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक समाघात प्रतिवेदन का मूल्यांकन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

विस्तृत प्रतिवेदन गोड्डा जिले के वेबसाइट:- www.godda.nic.in पर देखा जा सकता है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम- चौरा, थाना नं०- 340, अंचल- मेहरमा, जिला- गोड्डा, में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 10.743 एकड़ यानि हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है।

क्रम सं०	खाता सं०	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़)	हिस्से की भूमि का रकवा (एकड़)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
								उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3	77	निजी	धानी I	0.113	0.549	खतियानी रैयत- इंचू मंडल वो चाँदी मंडल, पेसरान- फेकु मंडल वो मो० जीचा जोजे शिवचरण मंडल के वारिस	71	78	77 अंश	76
2		78	निजी	धानी I	0.182			77	80	78 अंश	79
3		79	निजी	धानी I	0.254			75, 76	80	78, 79 अंश	79 अंश
4	8	37	निजी	बाड़ी I	0.050	0.050	खतियानी रैयत- गंगा मंडल वल्द जानकी मंडल के वारिस	37 अंश	69, 70	37 अंश	67, 66
5	12	66	निजी	धानी I	0.359	0.661	खतियानी रैयत- चमरू मंडल वल्द शिवनारायण मंडल के वारिस	40, 41	67	37, 67	67, 66 अंश
6		67	निजी	बाड़ी I	0.302			66	68, 69	37	66, 67 अंश
7	29	81	निजी	धानी I	0.376	0.094	अगहन मंडल, पिता- स्व० घोघन मंडल	80	82, 91	81 अंश	81 अंश
8						0.094	शिवमुनी मंडल, पिता- स्व० घोघन मंडल				
9						0.188	बद्री प्रसाद मंडल, पिता- बसंत मंडल				

10		82	निजी	धानी I	0.083	0.02125	हरि सिंह, पिता- बनवारी मंडल	81	83, 84	89	लकड़मारा	
11	30	92	निजी	धानी I	0.002	0.02125	मकेश्वर सिंह, पिता- बनवारी मंडल	91	93	92 अंश	90	
12						0.02125	भगवान सिंह, पिता- धनेश्वर मंडल					
13							0.02125	कैलाश सिंह, पिता- धनेश्वर मंडल				
14	30	84	निजी	धानी I	0.033	0.006	मंटु सिंह, पिता- विश्वनाथ सिंह	82	85	89	83	
15		85	निजी	धानी I	0.002	0.002	राजू सिंह, पिता- बालेश्वर सिंह	84	87	88, 89	83, 86	
16							0.002	बास्की सिंह, पिता- बालेश्वर सिंह				
17							0.002	विक्रम सिंह, पिता- बालेश्वर सिंह				
18							0.011	बृहस्पति मंडल, पिता- फागु मंडल				
19							0.006	उमेश मंडल, पिता- छोटन मंडल				
20						0.006	गणेश मंडल, पिता- छोटन मंडल					
21	30	90	निजी	धानी I	0.096	0.3157	राजा राम मंडल, पिता- चैतू मंडल	89	94	92	89	
22		94	निजी	धानी I	0.851	0.3157	विलाश मंडल, पिता- चैतू मंडल	88, 94 अंश	धनकुडिया	93	88, 94 अंश	
23							0.3156	सुमन कुमार, पिता- चैतू मंडल				
24	30					0.073	घनश्याम सिंह, पिता- तारणी मंडल					
25						0.073	राम किशोरी सिंह, पिता- तारणी मंडल					
26		93	निजी	धानी I	0.365	0.073	महेश सिंह, पिता- तारणी मंडल	92	95	93 अंश, 99	94	
27							0.073	जागेश्वर सिंह, पिता- तारणी मंडल				
28							0.073	रमेश कुमार सिंह, पिता- झासी मंडल				
29	30	88	निजी	धानी I	0.596	0.544	मो० विद्या देवी, पति- स्व० शांति सिंह	89	94	94	88 अंश, 87	
30		89	निजी	धानी I	0.494	0.273	रामदेव सिंह, पिता- मानिक सिंह	81	88	81 अंश, 90, 94	84, 82	
31							0.273	रामपुकार सिंह, पिता- मानिक सिंह				


32	34	40	निजी	धानी I	0.686	0.719	खतियानी रैयत- मीठन चमार वो फेकन चमार सरान वलु चमार वो देवल चमार वल्द अमृत चमार के वारिस	5	66	39, 40 अंश	41
33		41	निजी	धानी I	0.033		5, 4	65, 66	41 अंश, 40	42	
34	36	5	निजी	धानी I	3.197	0.6823	अधीर कुमार सिंह, पिता- स्व0 गौबी प्रसाद सिंह	लकड़मारा	5 अंश, 4	6, 7, 8, 9, 5 अंश	4
35		71	निजी	धानी I	0.896	0.6823	प्रदीप कुमार सिंह, पिता- स्व0 गौबी प्रसाद सिंह	68, 69, 70, 121	73, 76	71 अंश	71 अंश
36						0.6822	विष्णु प्रसाद सिंह, पिता- स्व0 तापेश्वर सिंह				
37						0.6822	प्रदुम्न सिंह, पिता- स्व0 तापेश्वर सिंह				
38						0.2273	अवधेश कुमार सिंह, पिता- स्व0 कामेश्वर सिंह				
39						0.2273	भवेश सिंह, पिता- स्व0 कामेश्वर सिंह				
40						0.2274	प्रमोद सिंह, पिता- स्व0 कामेश्वर सिंह				
41						0.2274	पंचानन्द सिंह, पिता- स्व0 कामेश्वर सिंह				
42						0.2273	जयन्त सिंह, पिता- स्व0 कामेश्वर सिंह				
43						0.2273	घनश्याम सिंह, पिता- स्व0 कामेश्वर सिंह				
44	38	80	निजी	धानी I	0.355	0.775	खतियानी रैयत- राजकुमार मंडल वल्द रामचरण मंडल के वारिस	78, 79	81	80 अंश	80 अंश
45		95	निजी	धानी I	0.420		93, 94, 98	धनकुड़िया	95 अंश	94	
46	40	68	निजी	धानी I	0.224	0.07467	नन्दकिशोर महतो, पिता- स्व0 लाल बिहारी महतो	67	71, 72	69	65
47						0.07467	देवकी महतो, पिता- स्व0 लाल बिहारी महतो				
48						0.07466	कारु महतो, पिता- स्व0 लाल बिहारी महतो				
49	46	69	निजी	धानी I	0.198	0.149	कुसुम साह, पिता- जिछु साह	67, 37	71	69 अंश	68
50		39	निजी	बाड़ी I	0.100	0.149	मो0 रेखा देवी, पति- जिछु साह	33	37	38	40
51	46	33	निजी	धानी I	0.032	0.032	खतियानी रैयत- मो0 लक्ष्मी जोजे चुरामन साहू वो खैरु साहू वल्द बंदे साहू के वारिस	32	39, 38, 35, 34	33 अंश	40
52	51	4	निजी	धानी I	0.104	0.104	खतियानी रैयत- मो0 सुरोचनी जोजे अयोध्या मंडल के वारिस	5	41, 42	5	4 अंश
53	55	73	निजी	धानी I	0.049	0.049	ओमप्रकाश भगत, पिता- स्व0 शिवपुजन भगत	71	74	76	73 अंश

54						0.01025	विश्वनाथ भगत, पिता- छटदु भगत				
55	55	74	निजी	धानी I	0.041	0.01025	शंभुनाथ भगत, पिता- छटदु भगत	73	75	62	74 अंश
56						0.0205	चमन लाल भगत, पिता- गणेश भगत				
57						0.012	शिव मंगल भगत, पिता- स्व0 डोमन भगत				
58	55	75	निजी	धानी I	0.036	0.012	कैलाश भगत, पिता- स्व0 डोमन भगत	74	79	76	75 अंश
59						0.012	प्रणवीर भगत, पिता- स्व0 डोमन भगत				
60	55	76	निजी	धानी I	0.214	0.214	खतियानी रैयत- हजारी भगत वो सनतलाल भगत वो जेट भगत, पेसरान- सहदेव भगत के वारिस	71	79	77	73, 74, 75
कुल :-					10.743	10.743					

यह अधिसूचना भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। उपायुक्त, गोड्डा उक्त अधिनियम की धारा- 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा/अंचल अधिकारी, मेहरमा और उनके कर्मचारी- कानूनगो/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन/संबंधित राजस्व कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा- 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नही उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा- 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियों हितबद्ध व्यक्ति द्वारा श्री अनिल कुमार तिकी, अपर समाहर्ता, गोड्डा/श्री पवन कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।


 20/9/18
 उपायुक्त
 गोड्डा।

ज्ञापांक 1120 / भू0अ0 दिनांक :- 21/9/18 ।

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, गोड्डा को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित । निदेश है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन यथाशीघ्र दो हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों (स्थानीय संस्करण) में करने का कष्ट करेंगे । साथ ही प्रकाशित अधिसूचना का पेपर कटिंग जिला भू-अर्जन कार्यालय, गोड्डा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना-विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित । निदेश है कि इस अधिसूचना को गोड्डा जिले के वेबसाइट में यथाशीघ्र प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे ।



20/9/18
उपायुक्त,
गोड्डा ।

ज्ञापांक 1120 / भू0अ0 दिनांक :- 21/9/18 ।

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, गोड्डा/अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा/भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गोड्डा/अंचल अधिकारी, मेहरमा/अधियाची पदाधिकारी, उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पूर्व रेलवे, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित । निदेश है कि इस अधिसूचना को यथाशीघ्र अपने कार्यालय में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि अधिसूचित दाग संख्या में अवस्थित भौतिक संरचना का मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कष्ट करेंगे ।

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, मेहरमा को निदेश है कि उक्त अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात सहज दृश्य स्थलों पर चिपकाना सुनिश्चित करेंगे ।



20/9/18
उपायुक्त,
गोड्डा ।

ज्ञापांक 1120 / भू0अ0 दिनांक :- 21/9/18 ।

प्रतिलिपि - प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- निदेशक, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


20/9/18
उपायुक्त,
गोड्डा ।